वकील श्री A.K.L. ने पेश किया।

1. वाद अन्दर मियाद पेश किया है।
2. न्यायालय के श्रवणाधिकार का है।
3. नियमानुसार उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है।
4. प्रतिवादीगण का पूर्ण पता अंकित है।
5. वाद पत्र की प्रतियां वाद के साथ संलग्न है।
6. वादी का शपथ पत्र संलग्न है।
7. तलवाना उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है तथा नोटिस के साथ वाद पत्र की प्रतियां संलग्न है।
8. पर्याप्त वाद हैतुक दर्शाया गया है।
9. वाद पत्र के साथ नवीनतम आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर रीडर

रिपोर्ट सरिस्ता देखी गयी । वादी वकील उपस्थित है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/2/22 को पेश हो।

22/1/22

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

24/2/22 पत्रावली पेश हुई। ~~बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है।~~ पीठासीन ~~आज्ञा से~~ अधिकारी ~~महोदय चुनाव/अन्य~~ राजस्व कार्य ~~भ्रमण/अवकाश~~ में पधारने से पत्रावली दिनांक 16/03/22 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

13/4/22 ~~पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली~~ दिनांक 24/5/22 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

24/5/2022 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी ~~महोदय चुनाव~~/अन्य राजस्व कार्य ~~भ्रमण/अवकाश~~ में पधारने से पत्रावली दिनांक 29/6/2022 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

29/6/22 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी ~~महोदय चुनाव~~/अन्य राजस्व कार्य ~~भ्रमण/अवकाश~~ में पधारने से पत्रावली दिनांक 3/8/22 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

3/8/2022 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी ~~महोदय~~ चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/~~अवकाश~~ में पधारने से पत्रावली दिनांक 14/9/2022 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

14/9/22 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य ~~भ्रमण/अवकाश~~ में पधारने से पत्रावली दिनांक 9-11-22 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

9/11/22 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 20/12/22 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

20/12/22 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 31/1/23 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

31/1/23 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 31-3-23 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

27/9/23 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 30/10/23 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

30/10/23 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 19/12/23 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

19/12/23 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 7-2-24 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

7/2/24 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 20/3/24 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

20/3/24 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 14/5/24 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

14/5/24 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 26/6/24 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

26/6/24 पत्रावली पेश। [illegible] वादी [illegible] साक्ष्य [illegible] व [illegible] दि. 10/7/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना (झालावाड़)

107/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली — रीडर
दिनांक 4/9/24 को पेश हो। — सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

4/9/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली — रीडर
दिनांक 26/11/24 को पेश हो। — सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

26/11/24 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली — रीडर
दिनांक 22/1/25 को पेश हो। — सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

22/1/25 पत्रावली पेश हु । बार ...
न्यायिक पैरवी कार्य ... आज्ञा से
अधिकारी महोदय ... राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में ... पत्रावली — रीडर
दिनांक 19/3/25 को पेश हो। — सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

19/3/25 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली — रीडर
दिनांक 19/5/25 को पेश हो। — सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

19/5/25 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली — रीडर
दिनांक 30/5/25 को पेश हो। — सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

30/5/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार रिपोर्ट अप्राप्त है। तहसीलदार को रिपोर्ट हेतु रिमाइण्डर पत्रावली प्रस्तुत रिपोर्ट हेतु दिनांक 13/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

13/6/25 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली — रीडर
दिनांक 17/6/25 को पेश हो। — सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

17/6/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। TOR रिपोर्ट ... TOR रिपोर्ट पत्रावली पुनः ... TOR रिपोर्ट प्राप्त ... साक्ष्य हेतु 24/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

24/6/25 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली — रीडर
दिनांक 14/7/25 को पेश हो। — सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

14/7/25 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी सरकारी पैरोकार उपस्थित / पत्रावली पूर्व निर्देशानुसार दिनांक 13/8/25 को पेश हो /

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

13/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पूर्व में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य व बहस दिनांक 28/8/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी।
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

28/8/25 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ ...यिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य ...मण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 25/9/25 को पेश हो।

रीडर
वाचक कलेक्टर मनोहरथाना

25/9/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक वादी एवं पैरोकार सरकार उप०। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07.10.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

07/10/25 पत्रावली पेश। उभयपक्षकारान पेश। बहस पत्रावली सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज निर्णीत किया जाता है। विस्तृत फैसला पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः—	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—	03/22
दायर दिनाँक :—	24.01.2022
निर्णय दिनाँकः—	07.10.2025
उनवान :—	मोजीराम

बनाम

सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री अशोक कुमार लववंशी, अधिवक्ता प्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी मोजीराम पिता जय किशन जाति लोधा निवासी सेहतखेडी तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम समरोल की खाता संख्या नया 152 (पुराना 127) की खसरा संख्या 192, 193, 195 कुल किता 03 की 1.6916 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं सहखातेदारान के शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "नंदा" दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम "मोजीराम पिता जयकिशन" है, जैसा कि ग्राम सेहतखेडी के खाता संख्या नया 70 व खाता संख्या नया 69 एवं ग्राम मानपुरा जावर के खाता संख्या नया 40 तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम समरोल तहसील मनोहरथाना के उक्त खसरा नंबरों में प्रार्थी का नाम **"फूलचंद पिता नन्दा"** के **स्थान पर " मोजीराम पिता जेकिशन "** संशोधित किया जाए और राजस्व

अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "नंदा" दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम "मोजीराम पिता जयकिशन" है, जैसा कि ग्राम सेहतखेडी के खाता संख्या नया 70 व खाता संख्या नया 69 एवं ग्राम मानपुरा जावर के खाता संख्या नया 40 तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है। उक्त कथन के समर्थन में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि **"फूलचंद पिता नन्दा" व " मोजीराम पिता जेकिशन "** एक ही व्यक्ति है। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम समरोल के खाता संख्या नया 152 (पुराना 127) की कुल आराजी 1.6916 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम **नामा0 संख्या 138 बेचान दिनांक 12.03.1984** में **फूलचंद पिता जैकिशन रिकॉर्ड** में दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आये है तथा तथ्यों को छुपाकर एवं गुमराह कर अपना नाम परिवर्तन का प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष लाए है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, मनोहरथाना